GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

No.E(NG)I-92/PM1/18 New Delhi, dated: 13-11-92.

The General Managers(P),
All Indian Railways and
PUs as per standard list.

Sub: Relaxation of educational qualification to ex-servicemen

---

In terms of instructions contained in this Ministry's letter No.E(NG)II-84/RR-1/19 dated 30-7-87, for appointment to any reserved vacancies in Group 'C' posts, a matriculate ex-serviceman, including one who has attained the Indian Army Special Certificate of Education or the corresponding certificate in Navy or the Air Force, and has put in not less than 15 years of service in the Armed Forces of the Union, may be considered eligible for appointment to the posts for which the essential educational qualification prescribed is graduation.

It has now been decided that this relaxation of educational qualification granted to ex-servicemen for entry into the service, shall also apply for the purpose of promotion to the higher grade subject to the condition that no qualification higher than the one prescribed for entry in the feeder grade is laid down for the purpose of such promotion.

Please acknowledge receipt.

(K.B. LALL)
Director, Establishment(N)
Railway Board.

No.E(NG)I-92/PM1/18 New Delhi, dated: 13-11-92.

Copy to:-

1. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, 3, Chelmsford Road, New Delhi -55 (with 35 spares)

..........2

2. The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, 4, State Entry Road, New Delhi -55 (with 35 spares).

3. All Members, National Council/Departmental Council 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.

for SECRETARY / RAILWAY BOARD.

Copy to :

PSs to MS, MM, Adv(S),
SPAs to EDE, EDPC-I & II, EDMS, EDTT,
ED(Safety), [illegible] E.(Tourism), EDME, EDE(IR),
EDE(N), EDE(Res), DE(RRB), DE(N),
JDE(P&A), JDE(R)I & II, DDE(N), DDE(G)II,
DDE(R[illegible])I, [illegible] & III, DDPC-III & IV, DDE(LR)I,
DDE(R)II with two spares, DD(CR),
E(NG)II, E(Rep)I, II & III, E(SCT)I & II, E(G),
PC-III & IV, Code Revision Cell, Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एन जी)I-92/पी एम 1/18

नई दिल्ली, दि0 13.11.1992

महाप्रबंधक(का.),
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां.
(मानक सूची के अनुसार).

विषय:- भूतपूर्व सैनिकों को शैक्षणिक अर्हताओं में छूट.

===========

ग्रुप "सी" के पदों पर किसी आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए इस मंत्रालय के 30.7.87 के पत्र सं. ई(एन जी)II-84/आर आर-1/19 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार, मैट्रिक पास भूतपूर्व सैनिक को, जिसमें वे भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं जिन्होंने शिक्षा का भारतीय सेना विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायुसेना में तदनुरूपी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और संघ के सशस्त्र बल में 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र समझा जाए जिनके लिए निर्धारित की गयी शैक्षिक अर्हता स्नातक है।

अब यह विनिश्चय किया गया है कि सेवा में आने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को प्रदान की गयी शैक्षिक अर्हता की यह छूट उच्च ग्रेड में पदोन्नति के प्रयोजन के लिए भी लागू होगी लेकिन शर्त यह है कि फीडर ग्रेड में प्रवेश के लिए जो अर्हता निर्धारित की गयी है उससे उच्च अर्हता ऐसी पदोन्नति के प्रयोजन के लिए निर्धारित न की जाए।

कृपया पावती दें।

(हस्ताक्षर)

(के. बी. लाल)
निदेशक, स्था. (अराज.),
रेलवे बोर्ड.

नई दिल्ली, दि० 13.11.1992

सं. ई(एन जी)I-92/पी एम 1/18

प्रतिलिपि :-

1. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली-55 (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).

2. जनरल सेक्रेटरी आल इंडियन रेलवेमैन फैडरेशन, 4-स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली-55(35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).

3. राष्ट्रीय परिषद/ विभागीय परिषद के सभी सदस्य, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।

के.के. अब्राहम

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड.

-:-